

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक.....B/2107 /

जबलपुर, दिनांक.....06/03/2021
04

श्री शुभम तिवारी पिता श्री देवदत्त तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवायें रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/3355 जबलपुर, दिनांक 31.12.2020 के तारतम्य में उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 के नियम 7(2)(एक) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर जिलाध्यक्ष जबलपुर द्वारा निर्धारित दर पर निरंतर रखते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है। उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी) 06.4.21
रजिस्ट्रार जनरल

पृ.क्र.....B/2108 /

जबलपुर, दिनांक.....06/03/2021
04

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) लेखा / पेंशन / बजट, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर,
8. सहायक, स्थापना / अवकाश / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / डी.पी.एफ. / प्रोटोकॉल ऑफीसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री शुभम तिवारी पिता श्री देवदत्त तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन सिंह)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)